FIROZABAD POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेस नोट थाना मक्खनपुर दिनांक 20.12.2025 जनपद फिरोजाबाद।

- **दिनांक 30.09.2025 को घुनपई के पास हाईवे बाईपास पर गुजरात व्यापारी से हुई 02 करोड रूपये की लूट का सफल अनावरण करते हुये थाना मक्खनपुर पुलिस टीम द्वारा 08 अभियुक्तगणों के विरूद्ध 1,560 पृष्ठ की चार्जशीट 80 दिनों में मा0 न्यायालय में प्रेषित की गई।**

- **दिनांक 30-09-2025 को थाना मक्खनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घुनपई के पास जीके कम्पनी की गाडी से भारी मात्रा में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था।**

- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा घटना के खुलासे हेतु एसओजी / सर्विलांस सहित कुल 06 पुलिस टीमों का गठन किया गया था।**

- **लूट की घटना में शामिल कुल 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था जिनसे कुल 01 करोड 78 लाख 07 हजार 02 सौ 10 रुपये लूटा गया कैश, लूट के रूपयों से खरीदा 01 आईफोन (कीमत 55,000/- रुपये), 01 ब्रासलेट (सफेद धातु, लूट के रूपयों से खरीदी हुई), 01 नई मोटर साइकिल होण्डा साइन (कीमत 1 लाख रुपये, लूट के रूपयों से खरीदी हुई), भारी मात्रा में अवैध असलहा एवं घटना में प्रयुक्त क्रेटा व फॉर्च्यूनर कार बरामद की गयी थी।**

घटना, मुकदमें व गिरफ्तारी का विवरण- दिनाँक 30.09.2025 को प्रातः 05.00 बजे एन.एच. 19 बाईपास पर घुनपई के सामने जीके कम्पनी की कार को दो क्रमशः सफेद एवं काले रंग की कारो में सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा ऑवरटेक करके दोनों गाडियों को जीके कम्पनी की कार के आगे पीछे लगाकर तथा जीके कम्पनी की कार का शीशा तोडकर कार में रखे 02 करोड रूपये लूट करने व कम्पनी की कार के चालक को बन्धक बनाकर अपनी गाड़ी मे डालकर ले जाना तथा रास्ते में चलती गाड़ी से हाईवे पर फैंक देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 01.10.2025 को मु0अ0सं0 268/2025 धारा 309(4)/324(4) बी0एन0एस0 तरमीमी धारा 310(2)/140(3)/324(4) बीएनएस0 बनाम 02 कारों में सवार अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु एसओजी/सर्विलांस सहित

छः पुलिस टीमें गठित की गयी। गठित टीमों द्वारा ड्राइवर/पीडित के बताये समयानुसार सीसीटीवी कैमरों की मदद से दो गाडी जिनका नम्बर क्रमशः SK 01 PD 7272 सफेद रंग की फॉरचूनर और UP 14 GN 1786 काले रंग की स्कॉर्पियो चिन्हित की गयी तथा घटना मे शामिल गाडियों के स्वामियों से पूछताछ एवं डम्प में मिले मोबाइल नम्बरो के सीडीआर विश्लेषण व अन्य साक्ष्य संकलन से अभियोग उपरोक्त में घटना कारित करने वाले संदिग्ध अभियुक्तगणों की पहचान 1.तुषार उर्फ जोन्टी पुत्र स्व0 राजकुमार निवासी निवाडी रोड मौहल्ला शिवपुरी मोदीनगर, गाजियाबाद, 2.नरेश उर्फ पंकज पुत्र राकेश कुमार उर्फ भूरी सिंह उर्फ भूदेव प्रसाद निवासी अरनी थाना खैर जिला अलीगढ, 3.दुष्यन्त उर्फ दुष्यन्त चौधरी पुत्र मोहन सिंह उर्फ मोहर सिंह निवासी मौहल्ला ओमनगर थाना खैर जिला अलीगढ, 4.पंकज पुत्र रतन सिंह निवासी डी-59 गली नं0 5 गाजीपुर डेरी फार्म दिल्ली, 5.आकाश उर्फ अक्षय पुत्र सत्यप्रकाश निवासी डेरी फार्म गली नं0 06 गाजीपुर पूर्वी दिल्ली, 6.आशीष उर्फ आशू पुत्र प्रमोद निवासी 185, रोहिणी दिल्ली हाल निवासी बहादुरगढ़ थाना बहादुरगढ़ हरियाणा व अन्य अज्ञात के नाम प्रकाश मे आये। दिनांक 04.10.25 को प्रकाश मे आयें अभियुक्तगण 1.नरेश उर्फ पंकज पुत्र भूरी, 2.दुष्यन्त पुत्र मोहन सिंह, 3.तुषार उर्फ जोन्टी पुत्र राजकुमार, 4.आकाश पुत्र सत्यप्रकाश, 5.आशीष पुत्र प्रमोद, 6.मोनू उर्फ मिलाप पुत्र इन्द्रपाल सिंह को पायोनियर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से लूट की कुल धनराशि 1,00,05,310 रुपए व 01 आईफोन (कीमत 55,000/- रूपये / लूट के रूपयों से खरीदा हुआ) व 01 ब्रासलेट (सफेद धातु की लूट के पैसों से खरीदी हुई) व 01 नई मोटर साइकिल होण्डा (कीमत 01 लाख रुपये लूट के रुपयों से खरीदी हुई) एवं अभियुक्त तुषार उर्फ जोन्टी उपरोक्त से 01 तमंचा 315 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त गाड़ी UP 14 GN 1786 स्कॉर्पियो बरामद हुई। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियोग मु0अ0सं0 268/25 में धारा 317(3) बीएनएस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से की गयी पूछताछ व सीडीआर अवलोकन से जनपद आगरा में नियुक्त 1.मुख्य आरक्षी अंकुर प्रताप सिंह पुत्र गिरीशपाल सिंह मूल निवासी गाँव खान आलमपुर थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ हाल निवासी म0नं0 ए-423 ट्रांसयमुना कालोनी थाना एत्माद्दौला कमिश्नरेट आगरा हाल तैनाती सीआईए शाखा जीआरपी अनुभाग आगरा, 2.मुख्य आरक्षी मनोज कुमार पुत्र राकेश सिंह निवासी गाँव चन्द्रपुरा थाना करहल जिला मैनपुरी हाल निवासी नगला तुर्किया कस्बा व थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद वर्तमान तैनाती पुलिस लाइन कमिश्नरेट आगरा घटना के षडयंत्र में प्रकाश में आए जिसके आधार पर मु0अ0सं0 268/25 उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस0 की बढौत्तरी की गयी।

दिनांक 05.10.25 को गिरफ्तारशुदा अभियुक्त नरेश उर्फ पंकज उपरोक्त की निशादेंही पर उसके घर से लूटे गये 20 लाख रुपये बरामद हुये तथा पुनः पूछताछ में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त नरेश उर्फ पंकज उपरोक्त द्वारा अपने अन्य साथियो को बिना बताये बैग में छुपाकर घटनास्थल के पास ही रखे करीब 20 लाख रुपये व घटना में प्रयुक्त हथियार को साथ चलकर बरामदगी हेतु ले जाते समय अभियुक्त नरेश उर्फ पंकज उपरोक्त शौंच का बहाना करके पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग गया जिसके सम्बन्ध में थाना मक्खनपुर पर मु0अ0सं0 274/25 धारा 262 बीएनएस0 बनाम अभियुक्त नरेश उर्फ पंकज पंजीकृत किया

गया था। पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गठित टीमों के अथक प्रयास के क्रम में मुखबिर की सूचना पर बनीपुरा के जंगल में पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त नरेश उर्फ पंकज की घेराबन्दी की गयी। जहाँ पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त नरेश उर्फ पंकज उपरोक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से लगातार फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में फायर किया गया जिसमें अभियुक्त नरेश उर्फ पंकज घायल हो गया था। जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया जहां चिकित्सकों द्वारा अभियुक्त नरेश उर्फ पंकज को उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। उक्त पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना मक्खनपुर पर मु0अ0सं0 275/25 धारा 109(1) बीएनएस0 (पु0मु0) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त के कब्जे से लूट की रकम के 20 लाख रुपये व 02 पिस्टल, 01 रिवाल्वर, 13 खोखा व 07 जिन्दा कारतूस बरामद हुये।

दिनांक 07.10.25 को प्रकाश मे आये अभियुक्त मुख्य आरक्षी अंकुर प्रताप सिंह पुत्र गिरीशपाल सिंह को श्रीश्याम फैमिली ढाबा नेशनल हाइवे-19 के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से लूट/डकैती के 05 लाख रूपये बरामद हुये तथा दिनांक 08.10.25 को अभियुक्त मुख्य आरक्षी मनोज कुमार पुत्र राकेश सिंह को बिल्टीगढ़ अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से लूट/डकैती के 05 लाख रूपये बरामद हुये। दिनांक 13.11.25 को अभियुक्त पंकज पुत्र रतन सिंह को सीएनजी पम्प हाईवे बाईपास से कचहरी जाने वाले रास्ते में नगला अनिरूद्ध के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पंकज के कब्जे से 12,01,900/- रूपये बरामद हुये। जिला कारागार में निरूद्ध अभियुक्तगण से पुनः पूछताछ करने पर न्यायिक अभिरक्षा मे निरूद्ध अभियुक्तगण 1.तुषार उर्फ जोन्टी पुत्र राजकुमार, व 2.दुष्यन्त पुत्र मोहन सिंह द्वारा लूट की राशि में से क्रमशः 10 लाख व 06 लाख रुपये को अपने-अपने मकानों के पास खाली प्लाटों में छिपा कर रखना तथा साथ चलकर बरामद कराने हेतु बताया गया जिनकों मा0 न्यायालय में तलब कराकर पीसीआर प्राप्त करके दोनों पीसीआर अभियुक्तगण को साथ ले जाकर दिनांक 29.11.25 को अभियुक्तगणों की निशांदेही पर अलग अलग स्थानों/खाली प्लॉट से कुल 16 लाख रुपये बरामद किये गये। इस प्रकार थाना मक्खनपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों के कब्जे लूट/डकैती की रकम के कुल 1,78,07,210 रुपये (एक करोड, अठहत्तर लाख सात हजार, दो सौ दस रूपये) व 01 आईफोन (कीमत 55,000/- रुपये / लूट के रुपयों से खरीदा हुआ), 01 ब्रासलेट (सफेद धातु, लूट के रुपयों से खरीदी हुई), 01 नई मोटर साइकिल होण्डा साइन (कीमत 01 लाख रुपये, लूट के रुपयों से खरीदी हुई) एवं 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 अवैध पिस्टल, 01 अवैध रिवाल्वर, 13 अदद खोखा कारतूस व 07 अदद जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त गाड़ी UP 14 GN 1786 स्कॉर्पियो व SK 01 PD 7272 फॉर्च्यूनर बरामद हुये थे।

कार्यवाही का विवरण- तमामी विवेचना बयान वादी, बयान गवाह, प्रमाणित सीडीआर अवलोकन, बरामदगी व उक्त अन्य साक्ष्य संकलन से प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.नरेश उर्फ पंकज पुत्र भूरी (मृत), 2.दुष्यन्त पुत्र मोहन सिंह, 3.आकाश उर्फ अक्षय पुत्र सत्यप्रकाश, 4.आशीष पुत्र प्रमोद, 5.मोनू उर्फ मिलाप पुत्र इन्द्रपाल सिंह, 6.पंकज पुत्र रतन सिंह, 7.अंकुर प्रताप सिंह पुत्र गिरीशपाल सिंह, 8.मनोज कुमार पुत्र राकेश सिंह का चालान अन्तर्गत धारा 310(2)/140(3)/324(4)/317(3)/61(2) बीएनएस0 तथा अभियुक्त 8.तुषार उर्फ जोन्टी पुत्र राजकुमार का चालान अन्तर्गत धारा 310(2)/140(3)/324(4)/317(3)/61(2) बीएनएस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट आरोप पत्र संख्या 290/2025 मा0 न्यायालय किया गया। आज दिनांक 20-12-2025 को विवेचक / थानाध्यक्ष मक्खनपुर द्वारा घटना के अनावरण में 08 अभियुक्तगणों के विरूद्ध साक्ष्य संकलित करते हुये 80 दिन में कुल 1,560 पृष्ठ की चार्जशीट मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी है।